**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्‍कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 1680

उत्‍तर देने की तारीख: 27.12.2018

**विकलांग बच्चों को व्यय की प्रतिपूर्ति किया जाना**

**1680. श्री ए॰ के॰ सेल्वाराजः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश के सभी स्कूलों को विकलांग बच्चों की पुस्तकों, वर्दियों और परिवहन पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति करने के निर्देश जारी किए हैं;

(ख) क्या लगभग 12 मिलियन विकलांग लोग हैं जिनमें से मात्र एक प्रतिशत स्कूल जाते हैं;

(ग) क्या विकलांग बालिकाओं को 200 रुपये प्रति माह की धनराशि प्रदान की जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(डॉ. सत्‍य पाल सिंह)**

(क) और (ख): जी, नहीं। केन्‍द्रीय प्रायोजित योजना, समग्र शिक्षा के समावेशी शिक्षा घटक का उद्देश्‍य विशेष जरूरतों वाले बच्‍चों (सीडब्‍ल्‍यूएसएन) की शिक्षा को कक्षा 1 से 12 तक सतत शिक्षा के रूप में देखना है। इस योजना के अंतर्गत एक अथवा एकाधिक अक्षमताओं वाले सभी सीडब्‍ल्‍यूएसएन आते हैं जैसाकि निशक्‍तजन अधिकार (आरपीडब्‍ल्‍यूडी) अधिनियम, 2016 की विकलांगता अनुसूची में उल्‍लेख की किया गया। इस योजना के तहत, सभी विद्यालयों में सीडब्‍ल्‍यूएसएन पर किए गए व्‍यय की प्रतिपूर्ति का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि, सीडब्‍ल्‍यूएसएन को विशिष्‍ट छात्रोन्‍मुखी हस्‍तक्षेपों अर्थात् नि:शुल्‍क पाठ्यपुस्‍तकों और नि:शुल्‍क वर्दी (आरटीई के तहत), उपकरणों और यंत्रों, शिक्षण सहायता, सहायक यंत्रों, सहायक उपस्‍करों, पहचान और मूल्‍यांकन शिविरों, शिक्षण और अधिगम सामग्रियों, ब्रेल पुस्‍तकों/किट, परिवहन भत्‍ते, एस्‍कॉर्ट भत्‍ता, छात्राओं को वजीफे, सामान्‍य शिक्षकों के प्रशिक्षण, विशेष शिक्षकों के लिए वित्‍तीय सहायता आदि के जरिए सहायता प्रदान की जाती है। ये हस्‍तक्षेप सामान्‍य विद्यालयों में उनकी शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रदान किए जाते हैं। योजना के समावेशी शिक्षा घटक के तहत, वर्ष 2018-19 में **2100918 सीडब्‍ल्‍यूएसएन** के लिए वित्‍तीय सहायता अनुमोदित की गई है जिसकी तुलना में **102350.91 लाख रूपये** अनुमानित अनुमोदित परिव्‍यय है।

(ग) और (घ): बालिका शिक्षा और उनकी भागीदारी को प्रोत्‍साहित करने के लिए, नई शुरू की गई केन्‍द्रीय प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा के तहत कक्षा 1 से 12 के लिए विशेष जरूरतों वाली छात्राओं को 10 माह के लिए 200 रूपये प्रतिमाह की दर से 2000 रूपये का वजीफा प्रदान किया जाता है। वर्ष 2018-19 में, समग्र शिक्षा के अंतर्गत 12955.60 लाख रूपये के परिव्‍यय से वजीफा प्रदान करने के लिए विशेष जरूरतों वाली 6,51,595 छात्राओं को कवर किया गया है।

**\*\*\*\*\***